

# मूल वाद में डिक्री

प्रपत्र 5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी: श्री जितेन्द्र ओझा, R.A.S

## उनवान

1. श्री बक्षु पिता डुंगर रेबारी निवासी रेबारियों की ढाणी, (सुखवाडा) तह. मावली।

.....वादी

## बनाम

1. श्री मदनलाल पिता गोकुल रेबारी ना.बा.ब.वि.माता मु. दाईबाई पत्नी गोकुल रेबारी निवासी रेबारियों की ढाणी (सुखवाडा) तह. मावली।
2. श्रीमती लीला पुत्री गोकुल रेबारी निवासी रेबारियों की ढाणी (सुखवाडा) तह. मावली।
3. श्रीमती चान्दी पुत्री गोकुल रेबारी निवासी रेबारियों की ढाणी (सुखवाडा) तह. मावली।
4. श्रीमती गेन्दी पुत्री गोकुल रेबारी निवासी रेबारियों की ढाणी (सुखवाडा) तह. मावली।
5. श्रीमती नीमा पुत्री गोकुल रेबारी निवासी रेबारियों की ढाणी (सुखवाडा) तह. मावली।
6. मु. दाईबाई पत्नी गोकुल रेबारी निवासी रेबारियों की ढाणी (सुखवाडा) तह. मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण


दावा बाबत :- 88 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 91/17 वाद

निर्णय दिनांक : 10.02.2018

वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.02.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - मौजा सुखवाडा पटवार हल्का साकरियाखेडी की आ.न. 786 से 795 किता 10 रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा भूमि में जसा पिता भूरा के बजाय वादी को 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 से 6 को 1/10 हिस्सा एवं आ.न. 555 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि में जसा पिता भूरा के बजाय वादी को 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 से 6 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

यह आज तारीख 10.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
( जितेन्द्र ओझा )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर मावली